

तारिख हुकम

21-12-22

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण  
 में उभय पक्ष की बहल पूर्व में सुनी गई। प्राचीन का  
 प्रा. पत्र अ. धा. 212 RTA का सिद्ध नहीं होने से  
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार  
 होकर नम्बर से कम हो। विसृत आदेश पृथक  
 से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

